



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Ph & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-13/2017- 338 दिनांक : 07/3/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियोजित दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु कुल रु 30117/- (तीस हजार एक सौ सत्रह रुपये) मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-21/2017-16 / स्वी० व०५० दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट-21/2017-52 / आ० व०५० दिनांक 31.05.2017, इस कार्यालय का पत्रांक-920 दिनांक-20.07.2017, पत्रांक-1068 दिनांक-18.08.2017 एवं पत्रांक-1622 दिनांक-07.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची को पूर्व में दैनिक वेतनभोगियों के लिए कुल 4977785/-रुपये का उप-आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में कार्यरत 1 दैनिक वेतनभोगी के एक माह के लिए एवं वन भवन कार्यालय के साफ-सफाई हेतु 15 दैनिक श्रमिकों को सात दिन के लिए मजदूरी मद में 30117/- (तीस हजार एक सौ सत्रह रुपये) का उप-आवंटन की जा रही है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 के रूप में द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / योबजट—13 / 2017—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—13 / 2017—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधाएं योजना” (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगियों को भुगतान हेतु उप-आवंटित राशि

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दैनिक वेतनभोगियों की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	v
1	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	एक दैनिक श्रमिक का एक माह एवं 15 दैनिक श्रमिक को सात दिनों के लिए	30117
योग :-			30117

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची





आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार


चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-13/2017/338

दिनांक -

07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - बन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	102756	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	30,117.00 रुपये तीस हजार एक सौ स त्रह



योग:

क्रमिक योग:

रुपये तीस हजार एक सौ स त्रह

30,117.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PROP.DIVANAFRANCHI